छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 48/2007</u>

श्री केशव अग्रवाल,
आत्मज स्व0 श्री लखीराम अग्रवाल,
ग्राम–बिल्हा, मेन रोड बिल्हा,
जिला–बिलासपुर (छत्तीसगढ़) .... आवेदक

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पंचायत बिल्हा,
जिला–बिलासपुर (छत्तीसगढ़) .... अनावेदक

:: आदेश ::

(दिनांक 31 मई 2007)

श्री केशव अग्रवाल निवासी ग्राम–बिल्हा, जिला–बिलासपुर के द्वारा जन सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत बिल्हा, जिला–बिलासपुर से आवेदन–पत्र दिनांक 31–10–2006 के द्वारा श्री बिहारी अग्रवाल वार्ड नंबर–12 के भवन निर्माण संबंधी जानकारी चाही थी, जिसकी जानकारी जन सूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 23–11–2006 को आवेदक को दी गई। आवेदक ने उन्हें आवेदन–पत्र दिनांक 27–11–2006 से यह जानकारी मांगी कि भूमि स्वामित्व कितने दिन पुराना है, किसके द्वारा भवन बनाया गया, कहां से बनाया गया एवं किस चीज़ से बनाया गया। जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानकारी न देने पर छत्तीसगढ़ सूचना आयोग को शिकायत की गई।

2/ आयोग के द्वारा दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं तर्कों पर विचार किया गया। आवेदक का मुख्य तर्क यह है कि उसके द्वारा चाही गई वांछित जानकारी उसे नहीं दी गई। अनावेदक का यह तर्क है कि आवेदक को मूल आवेदन–पत्र में मांगी गई जानकारी निर्धारित अवधि में प्रदान की गई। उन्हें दिनांक 31–01–2007 को आवेदक को जानकारी भेजी गई, जिसे कि उसके द्वारा लेने से इंकार किया गया। इस संबंध में कार्यालयीन भृत्य ने टीप भी दी है।

3/ आवेदक का आवेदन–पत्र दिनांक 27–11–2006 प्रस्तुत होने पर यह पाया गया कि आवेदक के द्वारा चाही गई जानकारी अस्पष्ट है। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत केवल प्रतिलिपि प्रदान की जाती है, अतः उसका आवेदन–पत्र नस्तीबद्ध किये जाने का निर्णय लेकर आवेदक को सूचना दी गई। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक ने द्वितीय आवेदन पत्र दिनांक 27–11–2006 में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है कि भू–स्वामित्व कितने दिन पुराना, किसके द्वारा बनाया गया, कहां से बनाया गया, किस चीज से बनाया गया की जानकारी चाही है। आवेदक वास्तव में क्या चाहता है यह उसके आवेदन से स्पष्ट नहीं

है। आवेदक को स्पष्ट रूप से चाही गई जानकारी का विवरण देना था। आवेदक ने बहस के समय भी यह स्पष्ट नहीं किया कि वह वास्तव में क्या चाहता है। अतः चूँकि आवेदक के द्वारा चाही गई जानकारी अस्पष्ट है, अतः यह नहीं माना जा सकता कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदक को जानबूझकर जानकारी नहीं दी गई। आवेदक को यह सूचित भी किया गया कि मांगी गई जानकारी अस्पष्ट होने से उसका प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है, जिस पत्र को लेने से आवेदक ने इंकार किया। आवेदक के द्वारा मूल आवेदन–पत्र दिनांक 31–10–2006 में चाही गई समस्त जानकारी निर्धारित अवधि में जन सूचना अधिकारी के द्वारा प्रदान कर दी गई है। अतः जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानबूझकर जानकारी न देने अथवा द्वेषवश भ्रामक जानकारी देने का आरोप सिद्ध नहीं है। अतः आवेदक की शिकायत नस्तीबद्ध की जाती है। यदि आवेदक अन्य कोई जानकारी चाहता है, तो वह पृथक से जानकारी को स्पष्ट करते हुये पुनः आवेदन–पत्र जन सूचना अधिकारी को दे सकता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त